

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

सं०सं०-13/बायो०-13-01/2024

प्रेस विज्ञप्ति

श्री वृन्द कुमार लालदेव, पिता-श्री झारी लालदेव, तत्कालीन कनीय अभियंता (आई०डी० सं०-जे० 8390), विशेष प्रमंडल, सीतामढ़ी (ग्रामीण कार्य विभाग) सम्प्रति सेवानिवृत्त, ग्राम-उज्जैना, भाची, जिला-दरभंगा के विरुद्ध ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापन अवधि के दौरान विशेष प्रमंडल, सीतामढ़ी के अंतर्गत जुमरा प्रखंड के फतहपुर, गिरमिशानी में सिंचाई हेतु नहर की उड़ाही एवं मो० मियाँ के घर से लखनदेई नदी जानेवाली पथ में टूटान की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य के क्रियान्वयन में बरती गयी अनियमितता के लिए श्री लालदेव के विरुद्ध लंबित विभागीय कार्रवाई के निष्पादन एवं ACP/MACP पर निर्णय लिये जाने हेतु श्री लालदेव के अंतिम पदस्थापन/सेवानिवृत्त कार्यालय/विभाग की सूचना स्पष्ट नहीं हो पा रही है। श्री लालदेव के अंतिम पदस्थापन/सेवानिवृत्त कार्यालय/विभाग की सूचना विभाग को उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक-6370 दिनांक 19.11.2025 एवं पत्रांक-6810 दिनांक 11.12.2025 द्वारा डाक से श्री लालदेव के पते पर पत्र प्रेषित करते हुए निदेशित किया गया। साथ ही विभागीय विशेष दूत द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री लालदेव विगत 5-6 वर्षों से अपने पैतृक निवास स्थल पर अवस्थित नहीं है एवं श्री लालदेव का घर ताला-बंद मिला है।

अतएव इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री वृन्द कुमार लालदेव, पिता-श्री झारी लालदेव, तत्कालीन कनीय अभियंता (आई०डी० सं०-जे० 8390), विशेष प्रमंडल, सीतामढ़ी (ग्रामीण कार्य विभाग) सम्प्रति सेवानिवृत्त, ग्राम-उज्जैना, भाची, जिला-दरभंगा को सूचित किया जाता है कि उक्त के संबंध में 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर अपना अद्यतन बायोडाटा के साथ ही अंतिम पदस्थापन/सेवानिवृत्त कार्यालय/विभाग की सूचना मनीष आनंद, अवर सचिव (प्रबंधन)-03, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना के कोषांग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर/डाक के माध्यम से/ईमेल ([undersecretary3.wrd@gmail.com](mailto:undersecretary3.wrd@gmail.com)) के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि आपके विरुद्ध लंबित विभागीय कार्रवाई/ACP/MACP का निष्पादन ससमय किया जा सकें, विलम्ब की स्थिति में यह माना समझा जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं विभाग उपलब्ध अभिलेख/साक्ष्य के आधार पर एक पक्षीय कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ह०/-

(मनीष आनंद)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि:- जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त आवश्यक सूचना देश एवं राज्य के प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में दो दिनों तक प्रकाशित करवाने के साथ-साथ कृत्त कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि:- उप सचिव (निगरानी), प्रशाखा-23, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

क०प०उ०

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि श्री वृन्द कुमार लालदेव, पिता-श्री झारी लालदेव, तत्कालीन कनीय अभियंता (आई0डी0 सं0-जे0 8390), विशेष प्रमंडल, सीतामढ़ी (ग्रामीण कार्य विभाग) सम्प्रति सेवानिवृत्त, ग्राम-उज्जैना, भाची, जिला-दरभंगा के सेवानिवृत्त कार्यालय की सूचना हेतु अपने कार्यालय में जाँच करते हुए तत्संबंधी सूचना उपलब्ध होने की स्थिति में ईमेल (undersecretary3.wrd@gmail.com) के माध्यम से विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 18/11/26

पटना/दिनांक - 9/4/26

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि विभागीय वेबसाईट पर उक्त सूचना का प्रकाशन नोटिस एवं बुलेटिन के रूप में 15 दिनों तक आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जाय।

M. J. S. 08/09/26  
अवर सचिव (प्रबंधन)।